



## प्रेस नोट

थाना – हापुड देहात

दिनांक 08.06.2022

हापुड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

### कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 428/14 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

### सिद्धदोष अपराधी का नाम व पता:-

अतुल पुत्र फूल सिंह निवासी पन्नापुरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।